आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
29.05.2020		

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–आर्बिट्रेटर, धनबाद

आर्बिट्रेशन केश नं0–08/2020

अनिरूद्ध उपाध्याय —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्रधिकरण एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में तोपचॉची अंचल अन्तर्गत मौजा–ब्राहम्णडीहा, थाना नं0–162, खाता नं0–113, प्लॉट नं0–199/2 रकवा– 0.0025 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेनों के चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उसपर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यरस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि गया है कि मौजा–ब्राहम्णडीहा, थाना नं0–162, खाता नं0–113, प्लॉट नं0–199/2 रकवा– 0.0025 एकड़ जमीन भू–अर्जन द्वारा अधिग्रहित किया गया है। उक्त भूमि 3 X 6 मीटर छोड़कर मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है, आवदेक द्वारा उक्त अर्जित भूमि का मुआवजा राशि भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित रूप से पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया कि यह वाद Not Maintainable है तथा मुआवजा राशि सही आकलन कर भुगतान किया गया है। फलस्वरूप वाद को अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि भूमि की वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद/NHAI को निदेश दिया जाता है कि उक्त भू–खण्ड को 15 दिनों के अन्दर मापी कराना सुनिश्चित करेंगें, तथा मापी प्रतिवेदन के अनुसार यदि अर्जित भूमि का मुआवजा राशि देय हो, तो आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चि करें। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 29/5/20
अपर समाहर्त्ता,
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद।

(हस्ताक्षर) 29/5/20
अपर समाहर्त्ता
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner